

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत महाराज इन्द्रप्रसाद एन्ड्स मुकाम वायड

चञ्चु डेवी बनाम इन्द्रप्रसाद कौरा

किस्म मुकदमा रा० क्र० 111,128 PRACT नं. 17/19 सन् 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 07/01/19 | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>पुनाराम</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 PRACT</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/02/19</u> को पेश हो।</p> | |
| 25/02/19 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथीगिवा</p> <p>के नोटिस तामिल प्रसू तामिल क्लर्क/</p> <p>सीमांत पीठाधीन अधिवारी लिगट डामो</p> <p>में व्यक्त होने से मिश्रित इतिहास हो</p> <p>आवासी दिनांक 28/05/19 को पेश हो।</p> | |
| 28/05/19 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथीगिवा</p> <p>के नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त जिसे</p> <p>तामिल पत्रावली हीमा गया। विप्राथीगिवा</p> <p>वाकजुस तामिल अनुपस्थित। न्यायालय</p> <p>समय तीन बजे आवाज लगाई गई</p> <p>कॉन्सुम आवाज 5.45 pm पर लगाई</p> <p>गई, विप्राथीगिवा स्वयं या उनकी ओर</p> <p>से कोई आश्चर्य उपस्थित नहीं हुआ</p> <p>लिराज उनसे विरुद्ध एडवरना कार्यवाही</p> | |

काम में लाई जाती है। प्राचीन के अधिवक्ता की
 रकम सीमा बटल चुनी गई, प्राचीन के अधिवक्ता ने
 बताया की प्राचीन को अपने खातेदारी खेती के
 चारों ओर पक्के नेचम स्थापित उताना
 काफ़ी मुश्किल है। इसलिए प्राचीन का नेचमबन्दी आदेश
 रद्दीकरण किया जाकर नेचमबन्दी आदेश रद्दीकरण।
 अतः प्राचीन अधिवक्ता के निवेदन
 पर प्राचीन का नेचमबन्दी आदेश रद्दीकरण किया
 जाकर तदनुसार सिद्ध हो इतिहास निश्चित
 किया जाता है कि आदेश रद्दीकरण किया जाते हैं कि
 काय स्वयं या अपने अधिनस्थ सीमा भी
 भू अमिलेय निरीक्षण के प्राचीन के खातेदारी
 खेती की पक्की नेचमबन्दी मंडी पर मुक्त
 जमा इलाका है। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
 शामिल पत्रावली है, पत्रावली फ़ैसल बुक है,
 दर्ज नम्बर के इस है, दाखिल दफ़तर है।

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 28/05/19

कमांक/वाद/2019/.....314

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|------|--|
| 1. चत्रुदेवी पत्नि लुम्बाराम जाति जाट निवासी मानपुरा खारडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर | | 1. हुकमाराम पुत्र भीखाराम वगैरा 17 जाति जाट निवासी मानपुरा खारडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 17/19

आदेश

मौजा ग्राम मानपुरा खारडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 395/201 रकबा 54-08 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वें स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ. निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिडा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

दिनांक:- 28/05/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी चत्रुदेवी पत्नि लुम्बाराम
4. विप्रार्थीगण हुकमाराम पुत्र भीखाराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिडा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर